संख्या:8/2017/ 450 / सत्रह - म-2017-6-9 (333) /2016 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 31 मार्च,2017

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में नयी केन्द्र पुरोनिधानित ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या -699/नियो0शा0/16-22 (9)/ वि0 स्वी0 -4 दिनांक 26-12-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या -17 – कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(मत्स्य)लेखाशीर्षक – 2405-मछली पालन- आयोजनागत -101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 02- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज ('' ब्लू रिवोल्यूशन'') 0201- राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अन्तर्गत् मछुआ आवास 35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए धनराशि रू0 1631.70 लाख (रू0 सोलह करोड इकतीस लाख सत्तर हजार मात्र) राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी गयी है। भारत सरकार के पत्र संख्या – 31013/06 /2016 – एफ0वाई0(3) दिनांक 18 अगस्त 2016 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में केन्द्राश रू0 800.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है । ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मछुआ आवास निर्माण योजना हेतु कुल धनराशि रू0 921.19455 लाख (नौ करोड इक्कीस लाख उन्नीस हजार चार सौ पचपन मात्र), जिसमें केन्द्रांश रू0 181.2186 लाख (एक करोड इक्यासी लाख इक्कीस हजार आठ सौ साठ मात्र) एवं मैचिंग राज्यांश रू0 739.97595 लाख (रू0 सात करोड उन्तालीस लाख सत्तानबे हजार पॉच सौ पच्चानबे मात्र) सम्मिलित है, को 666 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु निम्न तालिकानुसार श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

तालिका

रू0 लाख में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार लक्ष्य (कुल आवास संख्या)	मछुआ आवास निर्माण हेतु कुल धनराशि			प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	बरेली	50	30.00	122.50	152.50	69.158750
2	बदायूं	100	60.00	245.00	305.00	138.31750
3	पीलीभीत	216	129.60	529.20	658.80	298.76580
4	वाराणसी	100	60.00	245.00	305.00	138.31750
5	जौनपुर	100	60.00	245.00	305.00	138.31750
6	आजमगढ	100	60.00	245.00	305.00	138.31750
	योग	666	399.60	1631.70	2031.30	921.19455

(कुल रूपया नौ करोड इक्कीस लाख उन्नीस हजार चार सौ पचपन मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0 ए0/ डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा ।

(2) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।

(3) निर्माण् कार्यो के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री /उपकरण के क्रय की कार्यवाही हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा- निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय निर्धारित मद से अन्य किसी मद /योजना में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

(9) शासकीय व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों व वित्त् विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2016/ बी-1 – 746/ दस – 2016- 231 /2016 दिनांक 22-03-2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(10) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज''योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/ 2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर 2016 द्वारा निर्गत मार्ग – निर्देश / गाइड लाइन्स व शासन के आदेश सं0- /2017/ 446 / सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 टी0सी0 दिनांक 31 मार्च 2017 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग – निर्देश / गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या - 17 – कृषि तथा अन्य सम्बद्ध -विभाग (मत्स्य) लेखाशीर्षक–2405-मछली पालन- आयोजनागत -101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 02- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज (‘’ ब्लू रिवोल्यूशन’’) 0201- राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अन्तर्गत् मछुआ आवास 35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त् विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2016/ बी-1 – 746/ दस –2016- 231 /2016 दिनांक 22-03-2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या :8/2017 /450 /सत्रह-म- 2017 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।
3- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण योजना हेतु निर्गत स्वीकृतियॉं के सम्बंध में तत्काल समसत अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
7- वित्त् (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-2 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in